

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

479/13/2018

श्रीमती शांति वगैरे vs शंकर लाल

तारीख
पेशी

219/00479 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-333

श्री एन. एम. राजावत श्री सी. वी. रामनि 9A-2

नम्बर व तारीख
अहकाम जोइस
हुक्म की तामील
जारी हुए

6/1/20

पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट उपस्थित । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2017 राजस्व वाद संख्या 54/2008 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा पूर्व में ही अपील संख्या 325/2018 श्रीमती शांति वगै० बनाम शंकर लाल वगै० दिनांक 23.10.2018 को पेश की थी जो दिनांक 31.10.2018 को दर्ज रजिस्टर कर मान० न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश भी पारित किये गये है इस कारण यह अपील नोट-प्रेस में खारिज करने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2017 राजस्व वाद संख्या 54/2008 के विरुद्ध पूर्व से ही राजस्व अपील संख्या 325/2018 विचाराधीन है । एक ही निर्णय की दो अपीलें विधिसंगत नहीं है । अतः यह अपील वकील अपीलांट के निवेदन पर नोट प्रेस में खारिज किया जाना उचित समझते है ।

अतः अपील अपीलांट नोट-प्रेस में खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Not Bred
Rajawada